न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 7/2008
आरसीएमएस नं0 2008/00151
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. गोपीराम
2. जगराज
3. प्रभुराम

पिसरान श्री श्योलाल उर्फ श्योदयाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी पुत्र श्री हन्साराम
2. लीलाधर पुत्र अमीलाल

जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3. अहसान मोहमम्द पुत्र सजाकत खां जाति पठान मुसलमान निवासी वार्ड नं. 21 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2008
द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 3/2008 बअनवानी गोपीराम आदि बनाम बनवारी आदि
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजकुमार राठौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः– 29.06.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने चक 6 बारानी, चक 7 बारानी व चक 2 एमएसआर के खाता की कुल 13.949 है0 भूमि के खाता विभाजन का वाद पेश किया। वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है एवं खाता विभाजन से पूर्व ही कृषि भूमि में खुदाई कर ईंट भट्टा हेतु मिट्टी निकालने की कार्यवाही करने पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। रेस्पोडेण्ट ने जवाब पेश किया कि अपीलाण्ट ने मिट्टी खुदाई होने से सम्बन्धित चक व किला नं0 का उल्लेख नहीं किया है तथा चक 6 बारानी की भूमि को बाईपास रोड़ के नजदीक ईन्ट भट्टा के पास स्थित होना स्वीकार किया तथा यह तथ्य प्रकट किया कि अपीलाण्ट ने चक 6 बारानी की भूमि घरू बंटवारा मे रेस्पोडेण्ट के कब्जा में होनी मानी है। अतः वह स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने यह तथ्य प्रकट कर कि अपीलांट ने उस भूमि का विवरण नहीं दिया है जिस विशिष्ट भूमि में खुदाई हो रही है। जबकि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत मुश्तर्का खाता की भूमि का स्पष्ट उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में किया है। अपीलाण्ट का अनुतोष विरोधाभाषी मानकर व प्रार्थना–पत्र को खारिज करने में अहम भूल की है। अपीलांट के घरू बंटवारा के तथ्य को रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वीकार न कर इस बंटवारा का विरोध किया जा रहा है जब तक इस बंटवारा के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित नहीं होती है तब तक यह भूमि संयुक्त खाता की भूमि है तथा रेस्पोडेण्ट को यह अधिकार नहीं है कि व गैरकानूनी ढंग से प्रश्नगत भूमि में मिट्टी की खुदाई करे। रेस्पोडेण्ट के इस कृत्ये से भूमि के खूर्द बुर्द होन की आशंका पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जोव।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा होना एवं उसी के अनुसार के अनुसार काश्त ककरना बतायाहै। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह नही बताया कि कोनसी भूमि बाहमी बंटवारा में उन्हें प्राप्त हुई तथा किस विशष्टि भूकि या किस चक की भूमि में गैरसायलान खुदाई का कार्य कर रहे है। और कच्ची इंटे निकाल रहे है। तथा किस भूमि को उबड़ खाबड़ बना रहे हैं। अपीलाण्ट एक तरफ भूमि के बाहमी बंटवारा होने तथा ब[illegible] पुख्ता करने का दावा पेश कर रहें हैं दूसरी तरफ वाद भूमि[illegible] रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

निषेधाज्ञा मांग रहे हैं। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि की मिट्टी की खुदाई की जा रही है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का काफी अर्सा पहले बंटवारा होना व उसी बंटवारा के मुताबिक काश्त करना बताया है। अपीलाण्ट ने यह तथ्य अंकित नहीं किया कि कोनसी भूमि या किस चक की भूमि से रेस्पोडेण्ट मिट्टी की खुदाई कर रहा है एवं भूमि को उबड़ खाबड़ बना रहा है। अपीलाण्ट एक तरफ कहता है कि प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसे पुख्ता करने के लिए उसने वाद पेश कर रखा है जबकि दूसरी तरफ वह रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने विरोधा भाषी कथन किये हैं। जिस भूमि से मिट्टी निकाली जा रही है उसका कोई विवरण नहीं दिया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोइ दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेण्ट भूमि में जबरदस्ती ईंट निकाल रहे हो या कोई खुदाई का कार्य कर रहे हों। प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में नही है। जहां तक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू हैं तो यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे असुविधा होगी एवं प्रश्गनत भूमि पर अपने अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1902.2008 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया,आरएएस)
29/6/22
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:20 IST
Reason: SelfAttested